

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2020 — फाल्गुन 23, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 11 मार्च 2020

अधिसूचना  
सं. 08/2020—राज्य कर

क्रमांक एफ-10-24/2020/वाक/पांच (14).— राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (दूसरा संशोधन) नियम 2020 है।  
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबधित के सिवाय, ये इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 31क के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम 1 मार्च, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(2) लाटरी के प्रदाय का मूल्य, टिकट के अंकित मूल्य का या आयोजनकर्ता राज्य द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित मूल्य का 100/128, इनमें से जो भी उच्चतर हो समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए "आयोजनकर्ता राज्य" पद का वही अर्थ होगा जो लाटरी (विनियमन) नियम, 2010, के नियम 2 के उपनियम (1) के खंड (च) में उसका है।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

अटल नगर, दिनांक 11 मार्च 2020

क्रमांक एफ-10-24/2020/वाक/पांच(14).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-24/2020/वाक/पांच(14), दिनांक 11-03-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

Atal Nagar, the 11th March 2020

NOTIFICATION  
No. 08/2020 – State Tax

No. F-10-24 /2020/CT/V(14).— In exercise of the powers conferred by Section 164 of the Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (7 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Chhattisgarh Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2020.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of issue of this notification.

2. In the Chhattisgarh Goods and Services Tax Rules, 2017, with effect from the 1st March, 2020, in rule 31A, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(2) The value of supply of lottery shall be deemed to be 100/128 of the face value of ticket or of the price as notified in the Official Gazette by the Organising State, whichever is higher.

Explanation:— For the purposes of this sub-rule, the expression “Organising State” has the same meaning as assigned to it in clause (f) of sub-rule (1) of rule 2 of the Lotteries (Regulation) Rules, 2010.”.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
GAURAV DWIVEDI, Principal Secretary.